



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 91-2021/Ext.] CHANDIGARH, WEDNESDAY, JUNE 9, 2021 (JYAISTHA 19, 1943 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 09 जून, 2021

संख्या 22/आ०-1/पं०अ०1/1914/धा० 18, 34 तथा 59/2021.— हरियाणा आबकारी अधिनियम, 1914 (1914 का पंजाब अधिनियम 1), की धारा 18, 34 तथा 59 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 09/आ०-1/पं०अ०1/1914/धा० 9/2020, दिनांक 28 जनवरी, 2020 के प्रतिनिर्देश से, मैं, शेखर विद्यार्थी, आबकारी आयुक्त, हरियाणा, इसके द्वारा, जून, 2021 के बाहरवें दिन से पंजाब मदिरा अनुज्ञापत्र तथा पारपत्र नियम, 1932, हरियाणा राज्यार्थ, को आगे संशोधित करने के लिए, निम्नलिखित नियम बनाता हूँ, अर्थात् :-

- ये नियम पंजाब मदिरा अनुज्ञापत्र तथा पारपत्र (हरियाणा संशोधन) नियम, 2021, कहे जा सकते हैं।
- पंजाब मदिरा अनुज्ञापत्र तथा पारपत्र नियम, 1932 में, नियम 2 में, खण्ड (क) में, विद्यमान द्वितीय परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित परन्तुक प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“परन्तु यह और कि अनुज्ञापत्रिधारी वर्ष 2021-22 की आबकारी नीति के खण्ड 2.3 में दिए गए देशी शराब (अनु०-14क) तथा भारत में निर्मित विदेशी मदिरा (अनु०-2) के खुदरा जोनों का आबंटन यदि दोनो प्रणाली द्वारा किया जाता है, तो ऐसे मामलों में, निम्नलिखित दरों पर मदिरा के क्रय के लिए परमिट फीस का भुगतान करेगा :-

क्रम संख्या	मदिरा की किस्म	दरें
1	2	3
1.	देशी मदिरा (50 डिग्री प्रूफ)	₹8/-प्रति प्रूफ लीटर
2.	मेट्रो मदिरा (65 डिग्री प्रूफ)	₹8/-प्रति प्रूफ लीटर
3.	भारत में निर्मित विदेशी स्पिरिट	
	3.1 ₹951 से ₹1050 प्रति पेटी एक्स डिस्टिलरी इश्यू प्राईस सहित ब्राण्ड	₹12/-प्रति प्रूफ लीटर
	3.1(क) ₹1051 से ₹1250 प्रति पेटी एक्स डिस्टिलरी इश्यू प्राईस सहित ब्राण्ड	₹12/-प्रति प्रूफ लीटर
	3.2 ₹1251 से ₹1500 प्रति पेटी तक एक्स डिस्टिलरी इश्यू प्राईस सहित ब्राण्ड	₹12/-प्रति प्रूफ लीटर
	3.3 ₹1501 से ₹2500 प्रति पेटी तक एक्स डिस्टिलरी इश्यू प्राईस सहित ब्राण्ड	₹12/-प्रति प्रूफ लीटर

क्रम संख्या	मदिरा की किस्म	दरें
1	2	3
	3.4 ₹2501 से ₹3500 प्रति पेटी तक एक्स डिस्टिलरी इश्यू प्राईस सहित ब्राण्ड	₹12/-प्रति प्रूफ लीटर
	3.5 ₹3501 से ₹5000 प्रति पेटी तक एक्स डिस्टिलरी इश्यू प्राईस सहित ब्राण्ड	₹12/-प्रति प्रूफ लीटर
	3.6 ₹5001 से ₹7000 प्रति पेटी तक एक्स डिस्टिलरी इश्यू प्राईस सहित ब्राण्ड	₹12/-प्रति प्रूफ लीटर
	3.7 ₹7001 से ₹9000 प्रति पेटी तक एक्स डिस्टिलरी इश्यू प्राईस सहित ब्राण्ड	₹12/-प्रति प्रूफ लीटर
	3.8 ₹9001 से उपर प्रति पेटी एक्स डिस्टिलरी इश्यू प्राईस सहित ब्राण्ड	₹12/-प्रति प्रूफ लीटर
4.	बीयर	
	(i) 3.5 प्रतिशत तक मादक मात्रा वाली सुपर माइल्ड बीयर	₹12/-प्रति बल्क लीटर
	(ii) 3.5 प्रतिशत से उपर तथा 5.5 प्रतिशत तक मादक मात्रा वाली माइल्ड बीयर	₹12/-प्रति बल्क लीटर
	(iii) 5.5 प्रतिशत से अधिक मादक मात्रा वाली स्ट्रान्ग बीयर	₹12/-प्रति बल्क लीटर
	(iv) डिब्बाबन्द बीयर:	₹12/-प्रति बल्क लीटर
	(क) सुपर माइल्ड	₹12/- प्रति बल्क लीटर
	(ख) माइल्ड	₹12/- प्रति बल्क लीटर
	(ग) स्ट्रान्ग	₹12/-प्रति बल्क लीटर
5.	ड्राट बीयर	₹10/-प्रति बल्क लीटर
6.	साइडर	₹1/-प्रति बल्क लीटर
7.	वाईन	₹2/-प्रति बल्क लीटर
8.	पीने के लिए तैयार पेय (आरटीबी)	₹5/-प्रति बल्क लीटर
9.	देसी मदिरा तथा भारत में बनी विदेशी मदिरा के लिए पोटेबल रेक्टिफाईड स्पिरिट तथा एक्सट्रा न्यूट्रल अल्कोहल	शून्य
10.	आटोमोबाईल ईंधन में उपयोग हेतु के सिवाय विकृत स्पिरिट/ एथॉनल	शून्य
11.	औद्योगिक उपयोग के लिए रेक्टिफाईड स्पिरिट तथा एक्सट्रा न्यूट्रल अल्कोहल	शून्य
12.	आटोमोबाईल ईंधन में प्रयोग के लिए एथॉनल	शून्य।"।

शेखर विद्यार्थी,
आबकारी तथा कराधान आयुक्त,
हरियाणा।

HARYANA GOVERNMENT
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 9th June, 2021

No. 22/X-I/ P.A. 1/1914/Ss. 18, 34 and 59/2021.— In exercise of the powers conferred by Sections 18, 34 and 59 of the Haryana Excise Act, 1914 (Punjab Act 1 of 1914), and with reference to Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No.09/X-I/P.A.1/1914/S.9/2020, dated the 28th January, 2020, I, Shekhar Vidyarthi, Excise Commissioner, Haryana, hereby make the following rules further to amend the Punjab Liquor Permit and Pass Rules, 1932, in their application to the State of Haryana, with effect from the 12th day of June, 2021, namely :-

1. These rules may be called the Punjab Liquor Permit and Pass (Haryana Amendment) Rules, 2021.